

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल- 462004.

उ.लि.

Website पर upload
करें। साथ ही
सूचना पत्र
पर चर्चा
करें।

क्रमांक : 782/168/आउशि/ अका./ AEDP / 26,

भोपाल, दिनांक : 25/05/2026

प्रति,

समस्त
क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

1285
28/5/26

विषय: कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों हेतु Apprenticeship Embedded Degree Programme (AEDP) पाठ्यक्रमों के प्रचार-प्रसार संबंधी।

--000--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा Apprenticeship Embedded Degree Programme (AEDP) के अंतर्गत राज्य के विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कौशल आधारित स्नातक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को नियमित उच्च शिक्षा के साथ-साथ उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण, व्यावहारिक अनुभव एवं अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता एवं व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि हो सके। AEDP पाठ्यक्रमों के अंतर्गत विद्यार्थियों को अंतिम वर्ष में 6 से 12 माह तक की Apprenticeship प्रदान की जाएगी, जिसमें विद्यार्थियों को प्रतिमाह ₹10,000 से ₹12,000 तक का स्टाइपेंड प्राप्त होने का प्रावधान भी है। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को कौशल विकास, उद्योग exposure तथा रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। वर्तमान प्रवेश सत्र के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को AEDP पाठ्यक्रमों की जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे उच्च शिक्षा में प्रवेश के समय इन रोजगारोन्मुख एवं कौशल आधारित पाठ्यक्रमों का चयन कर सकें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों तक AEDP पाठ्यक्रमों की जानकारी व्यापक रूप से पहुँचाई जाए। यह जानकारी विद्यालयों में सूचना पत्र, परामर्श सत्र, करियर मार्गदर्शन गतिविधियों, प्रार्थना सभा, व्हाट्सएप समूह अथवा अन्य उपयुक्त माध्यमों से साझा की जा सकती है। साथ ही, कृपया संयुक्त कार्यालय, स्कूल शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर AEDP पाठ्यक्रमों के प्रभावी प्रचार-प्रसार हेतु

आवश्यक सहयोग प्रदान करें तथा AEDP से संबंधित पोस्टर / प्रचार सामग्री विद्यालयों के सूचना पट्टों पर प्रदर्शित करवाना सुनिश्चित करें।



(प्रबल सिपाहा)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ क्रमांक 783 / 1168 / आउशि / अका. / AEDP / 26, भोपाल, दिनांक: 25/05/2026
प्रतिलिपि -

1. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल।



आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश